रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 1981/श्रावण 16, 1903
No. 277] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 1981/SRAVANA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1981

सा.का.नि. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मामले में आवश्यक जांच करने के पश्चात् उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, ऐसे प्रत्येक स्थापन को, जो तम्बाकू पत्ती को कूटने या पुनः सुखाने के उद्योग में लगा है अर्थात् जो ऐसा प्रत्येक उद्योग तंबाकू-पत्ती को कूटने, पुनः सुखाने हथालने, छांटने, श्रेणीकृत करने या

पैक करने में लगा है जिसमें पचास या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, ऐसे स्थापन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसको उक्त परन्तुक को लागू होगा ।

[सं. आर. 11017(2)/77-पी.एफ. 2]

नवीन चावला, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 1981

G.S.R 479(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the date of publication of this notification, every establishment, which is engaged in the stemming or redrying of tobacco leaf industry, that is to say, any industry engaged in the stemming, redrying, handling, sorting, grading or packing of tobacco leaf and in which fifty or more persons are employed, as an establishment to which the said proviso shall apply

[No. R. 11017(2)/77-PF-II]

N. B. CHAWLA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981